न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

उनवानः– सरपंच ग्राम पंचायत दादिया बनाम तहसीलदार सीकर
किस्मः– प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एलआर एक्ट 1957
मु.न.– 146 / वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा पत्र
12.09.25	तहसीलदार, सीकर ने पत्र क्रमांक–राजस्व/2025/1190 दिनांक 08.09.2025 द्वारा राजस्व ग्राम दिनारपुरा पटवार हल्का दादिया तहसील व जिला सीकर के खसरा नम्बर 184, 181, 180, 179, 176 में से गुजर रहे रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने बाबत् रास्ते का प्रस्ताव भिजवाया है। रिपोर्ट में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार मौके पर रास्ता चालू हैं तथा आवागमन के काम में लिया जा रहा हैं तथा भूमि खसरा नम्बर 184 के खातेदार रामनिवास के पुत्र अनिल कडवासरा द्वारा पूर्व में रास्ते को कटाण में करने के सम्बन्ध में आपत्ति पेश की गई थी। उक्त खातेदार द्वारा अब रास्ते को कटाण में करने के सम्बन्ध में सहमति पत्र दिया गया है तथा भूमि खसरा नम्बर 181 के खातेदार जगन सिंह की मृत्यु होने पर उनके वारिसों द्वारा सहमति पत्र दिया गया है। इस प्रकार रास्ते को कटाण में करने के सम्बन्ध में समस्त खातेदारों द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गई है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार सीकर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता हैं तथा राजस्व ग्राम दिनारपुरा पटवार हल्का दादिया तहसील व जिला सीकर के खसरा नम्बर 184 में से 0.0445 हैक्ट भूमि, खसरा नम्बर 181 में से 0.030 हैक्ट भूमि को, खसरा नम्बर 180 में से 0.0250 हैक्ट भूमि को, खसरा नम्बर 179 में से 0.0270 हैक्ट भूमि को, खसरा नम्बर 176 में से 0.0970 हैक्ट भूमि को रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में ही रहेगी। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तजबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, सीकर **उपखण्ड अधिकारी सीकर**